# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/566

एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड रामगंजमण्डी जरिये मुख्तार श्री बहादुर सिंह आत्मज श्री आसूसिंह जाति राजपूत निवासी बाजार नम्बर 01 रामगंजमण्डी जिला कोटा।

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत सलावदखुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 28.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.1968 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. अपीलान्ट अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.08.1968 को ग्राम पंचायत सलावद खुर्द को खसरा नम्बर 186/358 की 08 बीघा भूमि आवंटन करने में त्रुटि की है । ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि पर आज तक कोई कृषि कार्य नहीं किया है तथा आज भी उक्त भूमि पडत पडी हुई है । उक्त भूमि अपीलान्ट के खनन पट्टे में सन् 1959 से लगातार चली आ रही है और ऐसी भूमि को नियमानुसार आवंटन नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.1968 निरस्त फरमाया जावे ।

3. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश करन कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। जब प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग खनन की चाल उक्त वादग्रस्त आराजी के नजदीक आयी तब दिनांक 12.10.2015 को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त भूमि ग्राम पंचायत को आवंटित की जा चुकी है । इस सम्बन्ध में दस्तावेज निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि तहसील में उक्त आवंटन का उल्लेख एवं रिकॉर्ड कहीं भी उपलब्ध नहीं है और न ही आवंटन की पत्रावली उपलब्ध है । इसलिए प्रस्तुत अपील में केवल नामान्तरकरण ही प्रस्तुत किया है । आवंटन आदेश प्राप्त करने के लिए नकल का आवेदन दिनांक 06.11.2015 को पेश किया था जो खारिज कर दिया गया । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

4. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2023–26, 2027–30, 2031–34, 2035–38, 2039–42, 2043–46, 2047–50, 2051–54, 2055–58, 2059–62, 2063–66 पेश की हैं । उक्त दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉं हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.08.1968 को ग्राम पंचायत सलावद खुर्द को खसरा नम्बर 186/358 की 08 बीघाक भूमि आवंटन करने में त्रुटि की है । ग्राम पंचायत ने इस आराजी पर आज तक कृषि कार्य नहीं किया है, आराजी पडत पडी हुई है । आवंटन के पश्चात् इस पर कब्जा भी प्राप्त नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है । इंतकाल संख्या 59 में इस आशय का नोट अंकित है । अपीलान्ट के खनन पट्टे में वादग्रस्त आराजी सन् 1959 से चला आ रही है । इस आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता । जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है । अतः विलम्ब का शमन किया जावे । अपीलान्ट ने खसरा गिरदावरी की नकलें पेश की हैं जिसमें आराजी पडत बताई हुई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । आराजी जनहित में ग्राम

पंचायत सलावदखुर्द को आवंटित की गई है जिसके बाबत् आपत्ति करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के साथ नामान्तरकरण संख्या 59 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 186 की 08 बीघा आराजी ग्राम पंचायत सलावद खुर्द के गैर खातेदार में दर्ज करने का नोट अंकित किया गया है । पत्रावली के साथ नकल प्राप्त करने के आवेदन की प्रति भी संलग्न की गई है जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड तहसील के रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं है ।

10. अपीलान्ट के द्वारा सन् 1968 में ग्राम पंचायत सलावद खुर्द को किये गये आवंटन को इस अपील के माध्यम से चैलेंज किया है जो कि गंभीर रूप से अवधि बाधित है । साथ ही सरकारी आराजी जो जनहित में ग्राम पंचायत को आवंटित की गई है उसे चैलेंज करने का अपीलान्ट को कोई लोकसस्टेण्डाई (Locus-Standi) नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.1968 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा